

संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश

क्रमांक/अ-2-6/स्था/11-2011/2832

भोपाल,दिनांक :- 7-6-2011

//आदेश//

निम्नलिखित लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों को स्थानांतरित कर उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शित स्थान पर अन्य आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है ।


क्र०	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना स्थल	स्थानांतरण स्थल	स्थानांतरण का आधार
1	2	3	4	5
1	श्री सुदीलाल रैकवार सहायक ग्रेड-2	कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी, टीकमगढ़	उप संचालक, कि०क० तथा कृ०वि० झांझार के अधीन	प्रशासनिक
2	श्री राजेंद्र सिंह पवार, लेखापाल	कार्यालय उप संचालक, कि०क० तथा कृ०वि० खरगोन	कार्यालय उप संचालक, कि०क० तथा कृ०वि० बुरहानपुर	प्रशासनिक
3	श्री शेख जहीर, सहायक ग्रेड-2	कार्यालय उप संचालक, कि०क० तथा कृ०वि० टीकमगढ़	उप संचालक, कि०क० तथा कृ०वि० छतरपुर के अधीन	प्रशासनिक
4	श्री राजाराम कलथिया, लेखापाल	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी इंदौर	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी (न०घा०यो०) रतलाम	प्रशासनिक
5	श्री सुरेश कुमार मतलाने, सहायक ग्रेड-2	सहायक संचालक कृषि (गन्ना) सीहोर	उप संचालक, कि०क० तथा कृ०वि० विदिशा के अधीन	प्रशासनिक
6	श्री आर०एस०मैहर, मुख्यलिपिक	कार्यालय उप संचालक, कि०क० तथा कृ०वि० हरदा	कार्यालय उप संचालक, कि०क० तथा कृ०वि० बैतूल के अधीन	प्रशासनिक

स्थानांतरण आदेश जारी करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र.एफ-6-1/2011/एक/9, भोपाल, दि. 20.4.2011 के निर्देशों का पालन किया गया है। स्थानांतरण आदेश में कार्यमुक्त करने की अवधि एक सप्ताह निर्धारित की जाए। यदि संबंधित शासकीय सेवक निर्धारित समयावधि में कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा एक तरफा कार्यमुक्त किया जा सकेगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जायेगा।

जिन कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश जारी हों, उनका समय पर पालन सुनिश्चित किया जाय। स्थानांतरण पर कार्यमुक्त कर्मचारी द्वारा ज्वाइनिंग टाइम का लाभ उठाकर नई पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो ऐसे शासकीय सेवकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।

स्थानांतरित कर्मचारी कार्यमुक्त होने पर उसका अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, सेवापुस्तिका, व्यक्तिगत नस्ती, भविष्य निधि पुस्तिका आदि नवीन पदस्थापना से संबंधित कार्यालय एवं इम्पलाईज कोड/डेटाबेस (संबंधित कोषालय हेतु) 07 दिन के अंदर आवश्यक रूप से भेजे जावें।

स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय से ज्वाइन करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा।



संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास

क्रमांक/अ-2-6/स्था0/11-2011/ 2834

भोपाल, दिनांक 7-6-2011

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- विशेष सहायक माननीय कृषि-मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विभाग भोपाल ।
- 2- विशेष सहायक मा. कृषि राज्य मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विभाग भोपाल की ओर एकल नस्ती जा0क0 119/रा0म0कि0क0कृषि वि/11 दि. 06-06-11 के संदर्भ में
- 3- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
- 4- ~~संचालक, कृषि अभियांत्रिकी संचालन विभाग, भोपाल~~
- 5- संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास..... मध्यप्रदेश
- 6- उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास..... मध्यप्रदेश
- 7- अनुविभागीय कृषि अधिकारी.....
- 8- सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी.....
- 9- संबंधित श्री द्वारा अनु0कं0
- 10- आदेश नस्ती ।


संयुक्त संचालक कृषि (स्था0)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,
म0प्र0, भोपाल